



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2117]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2016/भाद्र 7, 1938

No. 2117]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2016/BHADRA 7, 1938

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 अगस्त, 2016

का.आ. 2802(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एतद्वारा एक सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से, जिसे इसके आगे 'सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा सम्बन्धित गतिविधियों पर अधोलिखित अनुसूची-I में दिये गये विवरण के अनुसार आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देता है:

2. इसके अलावा, मंत्रालय उक्त निर्देश के संदर्भ में नीचे दी गई अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके प्रतिनिधियों को, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है।
3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकॉर्डों की जांच, और जब भी आवश्यक हो स्पष्टीकरण मांगने के लिये, सांख्यिकी अधिकारी के कार्यक्षेत्र में नियुक्त किये जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान पत्र अथवा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।
4. अनुसूची-2.35 में सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण से संबंधित सूचकों द्वारा उपलब्ध कराए गये आँकड़ों का प्रसंस्करण, विधिवत सत्यापन और संवीक्षा के बाद, कोलकाता, दिल्ली, बंगलौर, गिरिडीह एवं नागपुर में स्थित आँकड़ा प्रसंस्करण केन्द्रों के उप महानिदेशक के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

5. सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण से सम्बंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे। इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धाराओं (4) अथवा (6) के तहत किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

अनुसूची-1

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

1. सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण के माध्यम से थोक एवं खुदरा व्यापार, मोटर एवं दुपहिया वाहनों की मरम्मत, परिवहन एवं भंडारण, निवास एवं खाद्य सेवा कार्यकलाप, सूचना एवं संचार, वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप (प्रभाग 65 सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रहेगा), भूसंपत्ति कार्यकलाप, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलाप, प्रशासनिक एवं सहायक सेवा कार्यकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य गतिविधियाँ, कला, मनोरंजन एवं मनोविनोद, अन्य सेवा कार्यकलाप (राजनीतिक संगठनों के कार्यकलाप - रा. औ. व. संकेतांक 9492 एवं व्यापारिक संगठनों के कार्यकलाप - रा. औ. व. संकेतांक 942 सर्वेक्षण व्याप्ति के बाहर रहेंगे), के बारे में आंकड़े एकत्र किए जायेंगे।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर पूरे भारत में आयोजित किया जाएगा। जम्मू व कश्मीर में सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण जम्मू व कश्मीर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2010 और जम्मू व कश्मीर सांख्यिकी संग्रहण नियमावली 2012 के तहत किया जाएगा।

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को, सूचना देने की तारीख, जिसे सूचना दी जानी है उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम, जिस प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों के बारे में सूचना दी जानी है, और वह प्रपत्र जिसमें सूचना दी जानी है, का उल्लेख करते हुए एक नोटिस जारी करेगा।

सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं:

4. सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान का मालिक अथवा दखलदार, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, प्रतिष्ठान के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।
5. सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों जिन्हें वह नोटिस में स्पष्ट करेगा, के अधीन मालिक अथवा दखलदार से एकल प्रबंधन के तहत उन दो अथवा अधिक प्रतिष्ठानों के बारे में समेकित सूचना उपलब्ध कराने को कह सकता है, जिनके बारे में प्रत्येक प्रतिष्ठान के अनुसार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है।

सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और यह आमतौर पर अक्टूबर, 2016 से जून, 2017 के बीच होगी।

संदर्भ अवधि

7. प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, 01 अप्रैल, 2015 से शुरू हुए और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष अथवा प्रतिष्ठान के लेखांकन वर्ष, जो 01 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के बारे में होगी।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

8. अपेक्षित सूचना विशेष रूप से तैयार कि गई अनुसूची-2.35 के द्वारा एकत्र की जायेगी। जांच अनुसूची में प्रतिष्ठान/उद्गम की पहचान विवरण, संदर्भ अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा किए गये कार्यकलाप, स्थायी एवं प्रचालन पूंजी सम्बंधी सूचना, परिसम्पत्तियां और देनदारियां, रोजगार एवं श्रम लागत, आय, व्यय, आगत मर्दे, कर एवं आर्थिक सहायता, लेखांकन वर्ष के दौरान सकल मूल्य वृद्धि (वित्त क्षेत्र में संलग्न व्यवसायों, एन पी आई एस एच एवं गैर-बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों को छोड़कर), प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त सूचना एवं संचार तकनीक, प्रतिष्ठान द्वारा सेवाओं के आयात एवं निर्यात के विवरणों को रखा गया है।

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है

9. सूचनादाता निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध कराएगा।

सूचनादाता का दायित्व

10. प्रतिष्ठान का मालिक या दखलदार संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दिए गए तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा। वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित सूचना के संबंध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा।

निरीक्षण किए जाने वाले कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों की प्रकृति

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस प्रतिष्ठान के कारोबारी रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टर रोल्स, उपस्थिति रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य वैधानिक दस्तावेज की जांच कर सकता है।

निरीक्षण का तरीका

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रतिष्ठान के कारोबारी रिकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पुष्टि कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा दखलदार या प्रतिष्ठान के प्रबंध मंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

अनुसूची-II

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1.	श्री हरबिंदर सिंह उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), छठा तल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9ए, चंडीगढ़-160017
2.	श्री कैलाश जी शर्मा निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय	पंजाब	एनएसएसओ (एफओडी), 348, जसवंत नगर, गडा रोड, निकट गुरुद्वारा,

	जालन्धर		जालन्धर शहर-144022.
3.	श्री हरबिंदर सिंह उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), छठा तल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9ए, चंडीगढ़-160017
4.	श्री पी.के.डे. उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	एनएसएसओ (एफओडी), ईस्ट ब्लॉक- 6, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
5.	श्री एस.एल. मेनारिया उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	एनएसएसओ (एफओडी), 55, केशव नगर, लेन 3, हवा सड़क, जयपुर-302019.
6.	श्री जी. सिवसुब्रमनियन उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, बंगलूरु	कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), पाँचवा- तल, ई एवं एफ विंग, केन्द्रीय सदन, 17 मेन- दूसरा ब्लॉक, कोरामंगला, बंगलूरु- 560034.
7.	सुश्री उषा प्रहलाद पॉल निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा	गोवा	एनएसएसओ (एफओडी), गोवा हाऊशिंग बोर्ड कॉलोनी, पोरोवोरिम, टीक्यु. बर्देज़, पणजी, गोवा-403521
8.	श्री एन.के. शर्मा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), 'बी' विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हर्दोस रोड, नंगमबक्कम, चेन्नई-600006
9.	श्री एम. मधुसूदनन उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	केरल एवं लक्षद्वीप	एनएसएसओ (एफओडी), ब्लॉक बी., भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पुनकुलम, वेलाइनी पी.ओ., त्रिवेन्द्रम-695522.
10.	श्री पी.वी.आर. प्रसाद उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	एनएसएसओ (एफओडी), 293/7, प्रथम तल, आर एण्ड बी कॉम्प्लेक्स, महावीर मार्ग, ए.सी. गाड्स, हैदराबाद-500004.
11.	श्री सुप्रिया मुखर्जी, उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा	आन्ध्र प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), पांचवा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ऑटो नगर, विजयवाडा-520007
12.	श्री अजय कुमार गुप्ता उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, केंद्रीय अंचल, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), सर्वेक्षण भवन, सेक्टर-11, आईएनएस-IV, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ-226022.
13.	श्री घन श्याम, निदेशक, एफओडी मुख्यालय, नई दिल्ली	उत्तराखंड	एनएसएसओ (एफओडी), ईस्ट ब्लॉक सं. 6, तल सं. 6, आर. के. पुरम, नई दिल्ली- 110066

14.	श्री सुसान्ता कुमार जाना, उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), विजय स्तंभ, हॉल नं. 201 & 205, ब्लॉक बी. दूसरा तल, जोन-1, एमपी नगर, भोपाल- 462011
15.	श्री डी.पी. मंडल उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	एनएसएसओ (एफओडी), मारकंडेय कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, गायत्री मंदिर रोड. कंकड़ बाग, पटना-800020
16.	श्री ए.के. मिश्रा, उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	एनएसएसओ (एफओडी), वाणिज्यिक परिसर, प्रथम तल, आचार्य विहार, भुवनेश्वर-751013
17.	श्री ए.के. बिस्वास उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एनएसएसओ (एफओडी), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, ई विंग, सेक्टर- 1 ब्लॉक- डी. एफ., साल्ट लेक, कोलकाता-700064.
18.	श्री एम.मल्लिक उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	झारखंड	एनएसएसओ (एफओडी), आत्मा राम भवन, तीसरा तल, बंगला स्कूल लेन, महावीर मंदिर के पीछे, मेन रोड, रांची-834001.
19.	श्री आशीष रे उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश	एनएसएसओ ((एफओडी), तीसरा तल, बी विंग, हाउसफैड कॉम्प्लेक्स (सेंट्रल ब्लॉक), बालटोला, बशिष्ठ रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006.
20.	डॉ.बी.बी. सिंह उप-महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला	त्रिपुरा, मिज़ोरम	एनएसएसओ ((एफओडी), श्री राम विला, एस बी आई के समीप, डाकखाना कुंजाबन, अगरतला 799006
21.	श्री बी.एस. छाबरा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इम्फाल	मणिपुर	एनएसएसओ (एफओडी), सगोलबंद तेरा सपम, लिरक, मणिपुर ग्रामीण संस्थान के पास, पो.ओ. इम्फाल, इम्फाल-795001
22.	श्री एम.एम. सिंह निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कोहिमा	नागालैण्ड	एनएसएसओ (एफओडी), एजी अपलैंड कॉलोनी, लेरई बेपटिस्ट चर्च के सामने, एनएच-39, इम्फाल रोड, कोहिमा- 797001
23.	श्री संजय कुमार उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग	मेघालय	एनएसएसओ (एफओडी), ओकलैण्ड रोड, शिलांग-793001
24.	श्री अतानुसाशन बसु उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय	सिक्किम	एनएसएसओ (एफओडी), रिनजिंग बिल्डिंग, गैरी गांव, पीओ. तड़ंग,

	गँगटोक		गँगटोक-737102.
25.	श्री ए.के. टोपरानी उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई	महाराष्ट्र	एनएसएसओ भवन, चौथा तल, ए-2/3 विंग, कोकण भवन के पास, सीजीओ कॉम्प्लेक्स भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614
26.	श्री राजीव शर्मा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) और दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), अर्बन हैल्थ सेंटर के निकट, नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरुषोत्तम नगर, नवा वेडास, अहमदाबाद-380013
27.	श्री ई.वी. गंगाधर राव, उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़	एनएसएसओ (एफओडी), प्रथम तल, सूर्या अपार्टमेंट नेताजी चौक, कटोरा तालाब, रायपुर-492001

[फा.सं.एस-15013/4/सीओएसए/2016-एसई]

इंदरजीत सिंह, उप-महानिदेशक, एनएसएसओ (एफओडी)

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2016

S.O. 2802(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics on Services Sector Establishments and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Survey of Services Sector', as per the details mentioned in the Schedule-I given below:

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule II given below as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in the schedule 2.35 in respect of the 'Survey of Services Sector' furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Offices of the Deputy Director General, D.P.Centres located at Ahmedabad, Kolkata, Delhi, Bangalore, Girdih and Nagpur.

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Survey of Services Sector are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of Section 4 of the Act.

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage, accommodation and food service activities, information and communication, financial and insurance activities (Division 65 will be excluded from the coverage of the survey), real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, education, human health and social work activities, arts, entertainment and recreation, other service activities (activities of political organizations-NIC code 9492 and activities of trade unions- NIC code 942 will be excluded) will be collected through Survey of Services Sector.

Geographical area for collection of statistics:

2. The Survey of Services Sector will be conducted in the whole of India under the Collection of Statistics Act, 2008, except the State of Jammu & Kashmir. In Jammu and Kashmir, the Survey of Services Sector will be conducted under the J&K Collection of Statistics Act, 2010 and J&K Collection of Statistics Rules, 2012.

Method of data collection:

3. A Notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the establishment or establishments for which, and the formats in which information is required to be furnished.

Nature of informants for whom data may be collected:

4. The owner or occupier of a service sector establishment who would be issued notice by a Statistics Officer shall furnish information about the establishment.

5. A Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more establishments under single management in case information is not separately available for individual establishment and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during October 2016 to June 2017.

Reference period:

7. Information is required to be furnished for the Financial Year commencing from 1st April 2015 and ending on 31st March 2016 or for the Accounting Year of an establishment ending on any date between 1st April 2015 and 31st March 2016.

Nature of information to be collected:

8. The information will be collected through specially designed schedule 2.35. The enquiry schedule contains identification particulars of the establishment/enterprise, activities undertaken by an establishment during reference period, information on fixed and working capital, assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items, taxes and subsidies, Gross Value Added during accounting period (for establishment/enterprise other than financial sector, NPISH and other enterprises engaged in non-market production), use of ICT by the establishment/enterprise, particulars of import and export of services by the establishment/enterprise.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier of an establishment shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of an establishment, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the establishment may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by an establishment on the basis of business records and other records of the establishment and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the establishment.

SCHEDULE-II

Sl. No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1	Sh.Harbinder Singh DDG, RO, Chandigarh	Himachal Pradesh	NSSO(FOD), 6 th floor, Kendriya Sadan, Sec-9-A, Chandigarh-160017
2	Shri Kailash G Sharma Director, RO, Jalandhar	Punjab	NSSO(FOD), 348, Jaswant Nagar, Garha Road, Near Gurudwara, Jalandhar City-144022.
3	Sh.Harbinder Singh DDG, RO, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSSO(FOD), 6 th floor, Kendriya Sadan, Sec-9-A, Chandigarh-160017
4	Sh.P.K.De DDG, RO, Delhi	Delhi	NSSO(FOD), East Block-6, R.K. Puram, New Delhi-110066.
5	Sh. S. L. Menaria DDG, ZO, Jaipur	Rajasthan	NSSO (FOD), 55, Keshav Nagar, Lane no. 3, Hawa Sadak, Jaipur-302019.
6	Shri G. Sivasubramanian DDG (SZ), Bengaluru	Karnataka, Andaman & Nicobar Islands (UT)	NSSO (FOD), 5 th Floor, E&F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main-2 nd Block, Koramangala, Bengaluru -560034.
7	Ms. Usha Pralhad Pol Director, RO, Goa	Goa	NSSO (FOD), Goa Housing Board Colony, Porvorim, Tq. Bardez, Panaji, Goa-403521
8	Sh. N. K. Sharma DDG, RO, Chennai	Tamilnadu, Puducherry (UT)	NSSO (FOD), 'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.
9	Sh. M. Madhusudanan DDG, RO, Thiruvananthapuram	Kerala & Lakshadweep	NSSO (FOD), Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O., Trivandrum-695522.
10	Sh. P.V.R.Prasad DDG, RO, Hyderabad	Telangana	NSSO (FOD), 293/7, 1st floor, R & B Complex, Mahavir Marg, A.C.Guards, Hyderabad-500004.
11	Sh. Supriya Mukherjee DDG, RO, Vijayawada	Andhra Pradesh	NSSO (FOD), 5 th Floor, CGO Complex, Auto Nagar, Vijayawada-520007
12	Sh. Ajay Kumar Gupta DDG ,ZO, Central Zone	Uttar Pradesh	NSSO (FOD), Sarvekshan Bhavan, Sector-11, INS-IV, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
13	Sh. Ghan Shyam Director, FOD Hqrs., New Delhi	Uttarakhand	NSSO (FOD), East Block No. 6, Level No. 6, R.K.Puram, New Delhi.
14	Shri Susanta Kumar Jana DDG, RO, Bhopal	Madhya Pradesh	NSSO (FOD), Vijay Stambh, Hall No. 201 & 205, Block-B, 2nd Floor, M.P. Nagar Zone-I, Bhopal-462011.
15	Sh. D.P.Mondal DDG, RO, Patna	Bihar	NSSO (FOD), Markandey Complex, 1 st Floor, Gayatri Mandir Road, Kankar Bagh, Patna-800020.
16	Sh. A. K. Mishra DDG, RO, Bhubaneswar	Orissa	NSSO (FOD), Commercial Complex, 1 st Floor, Acharya Vihar, Bhubaneswar-751013.

17	Sh. A.K. Biswas DDG, RO, Kolkata	West Bengal	NSSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, Sector-I, Bl.DF, Salt Lake, Kolkata-700064.
18	Sh. M. Mallick DDG, RO, Ranchi	Jharkhand	NSSO (FOD), Atma Ram Bhawan, IIIrd Floor, Bangla School Lane, Behind Mahabir Temple, Main Road, Ranchi-834001.
19	Sh. Asis Ray DDG, RO, Guwahati	Assam , Arunachal Pradesh	NSSO (FOD), 3rd Floor, C-Block, B-Wing, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006.
20	Dr. B.B.Singh DDG, RO, Agartala	Tripura, Mizoram	NSSO (FOD), Sree Ram Villa, Near SBI, PO Kunjaban Agartala-799006
21	Shri B.S.Chhabra DDG, RO, Imphal	Manipur	NSSO (FOD), Sagolband Tera Sapam, Leirak, Near Manipur Rural Institute, P.O. Imphal, Imphal-795001
22	Sh. M.M.Singh Director,RO, Kohima	Nagaland	NSSO (FOD), AG Upland Colony, Opp. Larie Baptist Church, NH-39, Imphal Road, Kohima-797001.
23	Sh. Sanjay Kumar DDG, RO, Shillong	Meghalaya	NSSO (FOD), Oakland Road, Shillong-793001
24	Sh. Atanusashan Basu DDG, RO, Gangtok	Sikkim	NSSO (FOD), Rinzingh Building, Gairi Gaon, Post Office-Tadong, Gangtok-737102.
25	Sh.A.K.Toprani DDG, RO, Navi Mumbai	Maharashtra	NSSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 Wing, Near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
26	Sh. Rajiv Sharma DDG, RO, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli(UT) & Daman and Diu (UT)	NSSO (FOD), Near Urban Health Centre, Behind Narayanpura Police Station, Purshotam Nagar, Nava Vadas, Ahmedabad-380013.
27	Sh. E.V. Gangadhar Rao DDG, RO , Raipur	Chhattisgarh	NSSO (FOD), 1st Floor, Surya Apartment Netaji chowk, Katora Talab, Raipur-492001

[F. No. S-15013/4/COSA/2016-SE]

INDERJEET SINGH, Dy. Director General, NSSO (FOD)